[2022] 13 एस. सी. आर 207

इन आरईः पेरी कंसागरा

सुओ-2021 की मोटू अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 3

11 जुलाई, 2022

[उदय उमेश ललित और

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे. जे.]

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971: न्यायालय की अवमानना-शपथपत्रों की निविदा और गलत बयान वाले वचन, यदि राशि हो

आपराधिक अवमानना-तथ्यों के आधार पर, भारतीय मूल के केन्याई नागरिक पिता को दिए गए बच्चे की अभिरक्षा के साथ-साथ उनसे मिलने के अधिकार भी दिए गए हैं।

माता-पिता ने अपने हलफनामों में भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत किया और अदालत के आदेशों का सम्मान करने और उनका पालन करने का बीड़ा उठाया, हालांकि, कई समन और आदेशों के बावजूद, अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और न ही बेटे को भारत लाए; और अदालत में धोखाधड़ी का अभ्यास करके इस अदालत के आदेश भी प्राप्त किए-इसलिए, अदालत ने अपने पहले के आदेशों को याद किया।

पिता के पक्ष में पारित निर्णय और शक्ति के स्वतः प्रयोग में, पिता के खिलाफ अवमानना क्षेत्राधिकार में कार्यवाही शुरू की-आयोजितः एक व्यक्ति जो न्यायालय के समक्ष गलत बयान देता है और न्यायालय को धोखा देने का प्रयास करता है, न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है और न्यायालय की अवमानना का दोषी है -

न्यायालय के पास न केवल अंतर्निहित शक्ति है, बल्कि यह अपने कर्तव्य में विफल होगा यदि कथित अवमानक के साथ अवमानना में व्यवहार नहीं किया जाता है।

न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए अधिकार क्षेत्र-प्रथम दृष्टया यह अवलोकन कि पिता अभिव्यक्ति का उल्लंघन करने के लिए अवमानना के अलावा न्यायालय की आपराधिक अवमानना करने का दोषी था

इस न्यायालय सहित न्यायालयों को दिए गए वचन-इस प्रकार, न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए।

मामले को आगे सूचीबद्ध करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 अवमानकर्ता-पिता का आचरण कपटपूर्ण था या नहीं, इस पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने कहा कि यह इस न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह धोखाधड़ी का अभ्यास करने के बाद प्राप्त आदेशों के प्रभाव और प्रभाव को रद्द करे।

अदालत। इसलिए इस न्यायालय ने दिनांकित निर्णय को वापस ले लिया

28.10.2020 और 08.12.2020 दिनांकित आदेश। साथ ही, अवमानकर्ता द्वारा प्रासंगिक मोड़ पर भौतिक तथ्यों का खुलासा न करना भी प्रथम दृष्टया विरोधाभासी पाया गया।

इसलिए, इस न्यायालय द्वारा अवमानना क्षेत्राधिकार में तत्काल कार्यवाही शुरू की गई थी। [पैरा 12] [222-सी-डी]

1.2 . एक व्यक्ति जो न्यायालय के समक्ष गलत बयान देता है

1.3 . दिनांकित 07.10.2021 के आदेश के पैराग्राफ 34 में मामले की आवश्यक विशेषताओं पर भरोसा किया गया था - एक प्रथम दृष्टया अवलोकन पर पहुँचते हैं कि पिता अदालत की अवमानना का दोषी था। हालांकि पिता को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया है। अभिलेख पर सामग्री स्पष्ट रूप से पिता की ओर से उल्लंघन दिखाती है। 7.10.2021 दिनांकित क्रम में की गई टिप्पणियाँ अभिलेख के आधार पर थीं। पूरे मामले पर विचार करने के बाद, पिता इस न्यायालय सहित न्यायालयों को दिए गए स्पष्ट वचनों का उल्लंघन करने के लिए अवमानना के अलावा न्यायालय की आपराधिक अवमानना करने का दोषी है।

पिता को अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत दोषी ठहराया गया है। [पैरा 16] [225-बी-सी]

1.4 यद्यपि तत्काल कार्यवाही को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जा सकता है और सजा का आदेश भी दिया जा सकता है

अवमानकर्ता की अनुपस्थिति में, पिता को अपने बेटे के साथ दोपहर 3 बजे इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया जाता है। उसके बाद उसे दी जाने वाली सजा के मुद्दे पर उचित दलीलें प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। अवमानकर्ता के लिए यह भी खुला होगा कि वह खुद को अवमानना से मुक्त करे, जिस मामले में मामले में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण लिया जा सकता है। इस न्यायालय के समक्ष अवमानकर्ता और उसके बेटे की उपस्थिति सुनिश्चित करने और इस न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित संघ की एजेंसियों के पास सभी शक्तियां होंगी और वे उनका प्रयोग करेंगी, जो आवश्यक रूप से दिनांक 1 के आदेश में जारी निर्देशों तक सीमित नहीं हैं। [पैरा 17,18] [225-डी-एफ]

आरई में:

पेरी कंसागरा

अनिल पंजवानी (2003) 7 एस. सी. सी. 375 के मामले में:

चंद्र शशि बनाम। अनिल कुमार शर्मा (1995) 1 एससीसी 421 : [1994] 5 पूरक। एससीआर 465; एबीसीडी बनाम। संघ का

भारत (2020) 2 एससीसी 52: [2019] 15 एस. सी. आर. 1-संदर्भित

को।

हैडकिंसन बनाम। हैडकिंसन [1952] 2 ऑल ई. आर. 567; रेजिना

वी. जोन्स (रॉबर्ट) 1972 1 डब्ल्यूएलआर 887 का उल्लेख किया गया है।

मामला कानून संदर्भ

[2003] 3 एससीआर 1179

पैरा

11

संदर्भित किया गया है

[1995] 3 एससीआर 964

संदर्भित किया गया है

पैरा

11

[1994] 5 पूरक। एससीआर 465

संदर्भित किया गया है

पैरा

11

[2019] 15 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

11

अंतर्निहित न्यायनिर्णयः सुओ-मोटो अवमानना याचिका

(सिविल) 2021 का सं. 03।

अदालत के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के लिए दायर याचिका

07.10.2021 और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित 2020 के सी. ए. संख्या 3559 में 2020 के एम. ए. संख्या 2140 में <आई. डी. 1.

तुषार मेहता, एस. जी., सुश्री सोनिया माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , पी. के. महोनार,

प्रोसेनजीत बनर्जी, सुश्री निधि मोहन पराशर, सुश्री मानसी शर्मा, सुश्री श्रेया सिंघल, विक्रांत कुमार, सुश्री प्रेरणा ढल्ल, सुश्री खुशबू अग्रवाल, सिमरजीत सिंह सलुजा, सुश्री स्मृति मदन कंसागरा, रजत नायर, कानू अग्रवाल, धनंजय महापात्रा, सुश्री दीपबली दत्ता, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे।

1. तथ्यों और परिस्थितियों को याद करने के लिए अग्रणी

28.10.2020 का निर्णय और 08.12.2020 का आदेश और कथित लोगों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए नोटिस जारी करना।

अवमानक पेरी कंसाग्रा (इसके बाद पेरी के रूप में संदर्भित) को इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुच्छेद 1 से 33 में पर्याप्त विस्तार से निपटाया गया था।

2020 की सिविल अपील No.3559 में 2021 का आवेदन No.1167।

सी. आर. के लिए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मूल तथ्यों की बार-बार पुनरावृत्ति, उक्त आदेश के पैराग्राफ 1 से 33

7.10.2021 इस आदेश के हिस्से के रूप में पढ़ा जाए।

2. प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर चर्चा करने के बाद

उक्त अनुच्छेद 1 से 33, दिनांकित आदेश के अनुच्छेद 34 से 36

2021 इस मामले की आवश्यक विशेषताओं को निम्नानुसार निर्धारित कीजिए:

" 34. ऊपर उल्लिखित दस्तावेज़ और घटनाक्रम

दिखाएँ:

(i) पेरी ने उच्च न्यायालय को एक स्पष्ट वचन दिया था कि वह भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत होंगे। उन्होंने इस न्यायालय को एक गंभीर वचन भी दिया था कि वह निर्णय के अलावा 28.10.2020 दिनांकित आदेश का पालन करेंगे।

दिनांकित 28.10.2020।

(ii) विविध में उठाए गए एक विशिष्ट प्रस्तुतिकरण के जवाब में

2020 का आवेदन No.2140 (ऊपर पैराग्राफ 16 में उद्धृत), पेरी द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि उन्होंने खुद को इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन कर लिया था। प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों से निपटते समय

इस न्यायालय को दिए गए वचन के अतिरिक्त, कार्यात्मक होगा। (iii) 28.10.2020 दिनांकित निर्णय ने पेरी से नैरोबी में संबंधित न्यायालय से एक दर्पण आदेश प्राप्त करने का आह्वान किया था ताकि दिनांकित 28.10.2020 निर्णय में निहित निर्देशों को प्रतिबिंबित किया जा सके। इसके बाद, नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा पारित 9.11.2020 दिनांकित आदेश के साथ-साथ पेरी द्वारा दिनांकित 28.10.2020 निर्णय के पंजीकरण के लिए दायर प्रासंगिक आवेदन था

इस अदालत में दायर किया गया।

(iv) नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 9.11.2020 आदेश के माध्यम से दिया गया पंजीकरण "दर्पण आदेश" की आवश्यकता को पूरा करने के बराबर है या नहीं, इस पर विवाद था। इस मुद्दे पर प्रस्तुतियों को दिनांक 8 के आदेश के पैराग्राफ 8 और 9 में निपटाया गया था। 12. 2020 . पेरी की ओर से पेश विद्वान वकील ने मेसर्स द्वारा दी गई राय पर भरोसा किया था। जीएमसी अधिवक्ता जिसने बदले में नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया था: आई. डब्ल्यू. पी. (शिशु) [2013] ई. के. एल. आर. का मामला यह प्रस्तुत करने के लिए कि पंजीकरण स्वयं में एक "दर्पण आदेश" था।

दिनांकित 28.10.2020 निर्णय की आवश्यकताओं का अनुपालन।

इन आरईः पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

पेरी की ओर से इस तरह की अग्रिम प्रस्तुतियों पर भरोसा करते हुए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित 9.11.2020 दिनांकित आदेश के सम्मान में

8.12.2020 , इस न्यायालय ने कहा कि नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के निर्णय का पंजीकरण जारी किए गए "दर्पण आदेश" को प्राप्त करने के निर्देशों का पर्याप्त अनुपालन था। केन्या में एक सक्षम न्यायालय से।

(vi) अब यह स्पष्ट होता है कि नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के अनुच्छेद 13 में एक बाद के आदेश द्वारा कहा कि इस न्यायालय का निर्णय पंजीकरण योग्य नहीं था और पेरी द्वारा दायर मूल समन दिनांक 30.10.2020 को खारिज कर दिया। (vii) किसी भी स्तर पर पेरी ने इस विकास को इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया कि इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित निर्णय के पंजीकरण की मांग करने के लिए उनके द्वारा दायर मूल समन को नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा 21.5.2021 पर खारिज कर दिया गया था। भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करने के बाद यह पेरी का बाध्य कर्तव्य था कि वह इस न्यायालय को सभी घटनाक्रमों से अवगत रखे, विशेष रूप से जब "दर्पण आदेश" था

जिसके आधार पर इस अदालत ने उन्हें आदित्य की अभिरक्षा सौंप दी।

(viii) यह उल्लंघन इस न्यायालय में दायर किए गए और ऊपर पैराग्राफ 22 में निर्दिष्ट उनके हलफनामे में लिए गए रुख के आलोक में अधिक स्पष्ट हो जाता है। उस हलफनामे में पेरी

स्पष्ट रूप से कहा कि उनका इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा करने का दूरगामी इरादा भी नहीं था, जिसमें दिनांकित 28.10.2020 का निर्णय भी शामिल था। फिर भी, 21.05.2021 दिनांकित आदेश जैसी बुनियादी और मौलिक चीज़ को इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था। तार्किक रूप से, पेरी को आदित्य को इस देश में वापस लाना चाहिए था ताकि यथास्थिति बहाल की जा सके और उसके बाद इस अदालत द्वारा उचित आदेश पारित किए जा सकें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ix) स्मृति द्वारा दायर 2021 के विविध आवेदन No.1167 ने उनके और पेरी के बीच आदान-प्रदान किए गए ई-मेल को संलग्न किया था और प्रार्थना की थी

कि पेरी को छुट्टी तक पहुँच के संबंध में निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाए। जवाब में, यह कहने के अलावा कि उनका कोई इरादा नहीं था इस अदालत द्वारा पारित आदेशों की अवज्ञा करने के लिए, पेरी ने आदित्य को भारत भेजने के बारे में चिंता व्यक्त की। इस देश की स्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ होने के कारण, इस न्यायालय द्वारा अपने दिनांकित 11.08.2021 आदेश में एक समाधान तैयार किया गया था और आदित्य के भारत में प्रवेश और सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए थे। उल्लेखनीय रूप से 11.08.2021 पर, इस न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर नहीं खींचा गया था कि ऊपर उल्लिखित 09.08.2021 की स्थितिजन्य रिपोर्ट बनाई गई थी या इस मामले को केन्या में संबंधित अधिकारियों द्वारा देखा जा रहा था।

(X) दिनांकित 11.08.2021 आदेश में जारी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पेरी ने आदेश का पालन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। वास्तव में, जब तक मामले को 16.08.2021 पर आगे की सुनवाई के लिए लिया गया, तब तक पेरी ने विद्वान वकील के पक्ष में प्राधिकरण को वापस लेने की मांग की, जो हर समय मौजूद थे।

इस न्यायालय के समक्ष उसका प्रतिनिधित्व करना।

(XI) जैसा कि 2021 के सप्ताह के अंत में आई. ए. 100550 में खुलासा किया गया है, स्मृति और आदित्य के बीच स्काइप बैठकों को 14.08.2021 और 15.08.2021 के सप्ताह के अंत से सुविधाजनक नहीं बनाया गया था। पेरी ने स्मृति के साथ संचार के सभी साधनों को भी अवरुद्ध कर दिया। हालांकि कानून में पेरी की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता उनका प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे, इसके अलावा नैरोबी के भारतीय दूतावास के माध्यम से पेरी को नोटिस देने का निर्देश दिया गया था। (XII) पेरी द्वारा प्रदर्शित अवज्ञाकारी रवैये और इस अदालत द्वारा पारित आदेशों का पालन करने से उनके इनकार के आलोक में, स्मृति द्वारा अपने 2021 के आई. ए. No.100550 में की गई प्रार्थना (डी) (ई) और (एफ) के संदर्भ में अंतरिम राहत इस अदालत द्वारा अपने दिनांकित आदेश के माध्यम से दी गई थी।

17.08.2021 .

आदित्य ओ. सी. आई. कार्ड लेगा; आदित्य की वह इच्छा नहीं थी इस न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया गया कि आरई में कोई वैध दर्पण आदेश नहीं थाः

पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

और यह कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। उन्होंने घोषणा के लिए प्रार्थना की है कि कोई वैध "दर्पण आदेश" मौजूद नहीं है और इन परिस्थितियों में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुपालन और/या प्रवर्तन में असमर्थ हैं। 35. ये घटनाक्रम न केवल अवज्ञाकारी और

पेरी द्वारा अब अपनायी गई आपत्तिजनक मुद्रा, लेकिन प्रथम दृष्टया उपरोक्त पैराग्राफ 25,27 और 28 में निर्दिष्ट अंतरिम आवेदनों में की गई स्मृति की प्रस्तुतियों का समर्थन करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ठोस सामग्री और यह मानने का कारण है कि यह था पेरी की ओर से एक सुनियोजित साजिश इस अदालत को उसके पक्ष में आदेश पारित करने और उसे आदित्य की हिरासत की अनुमति देने के लिए राजी करने के लिए

और फिर मुड़कर इस न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करें। 36. यह बुनियादी बात है कि अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले पक्ष को साफ हाथों के साथ आना चाहिए, विशेष रूप से बाल अभिरक्षा मामलों में। कोई भी धोखाधड़ीपूर्ण आचरण जिसके आधार पर नाबालिग की अभिरक्षा होती है

न्यायालय के आदेशों के तहत प्राप्त, संबंधित व्यक्ति में न्यायालय द्वारा प्रस्तुत विश्वास के तत्व को नकार देगा और रद्द कर देगा। जहाँ कहीं भी नाबालिग की अभिरक्षा माता-पिता या संबंधित पक्षों के बीच विवाद का विषय है, नाबालिग की प्राथमिक अभिरक्षा, माता-पिता के क्षेत्राधिकार में, न्यायालय के पास है जो तब उस व्यक्ति को अभिरक्षा सौंप सकता है जो न्यायालय की नज़र में सबसे उपयुक्त व्यक्ति होगा। धोखाधड़ीपूर्ण आचरण के साथ न्यायालय से ऐसी अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए शुरू की गई कोई भी कार्रवाई और

डिजाइन न्यायालय की प्रक्रिया में धोखाधड़ी होगी। "

3. इसके बाद, इस मुद्दे पर प्रासंगिक निर्णयों के साथ-साथ विद्वान सॉलिसिटर जनरल, श्री अमरजीत सिंह चांदीओक सुश्री सोनिया माथुर, कंसागरा में स्मृति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं (जिसे इसके बाद स्मृति के रूप में संदर्भित किया गया है) और श्री अनुनया ए, विद्वान अधिवक्ता के मुद्दों को दिनांकित 7.10.2021 आदेश में दर्ज किया गया था।

टी निष्कर्ष निकाला गया थाः -

" 39. हालाँकि, पेरी द्वारा उच्च न्यायालय और इस न्यायालय को हर मोड़ पर गंभीर वचन दिए गए थे, लेकिन इस तरह के उपक्रमों का न केवल स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया था, बल्कि अब एक रुख अपनाया गया है।

भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में खुद को प्रस्तुत करने के बावजूद, भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देना। इस तरह के आचरण को, प्रथम दृष्टया, निश्चित रूप से अवमानना क्षेत्राधिकार में कार्रवाई के लिए अपमानजनक कहा जा सकता है। इसके अलावा, गैर [2022] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पेरी द्वारा प्रासंगिक समय पर भौतिक तथ्यों का खुलासा यह भी दर्शाता है कि उन्होंने भारतीय अदालतों का दरवाजा खटखटाया था

हाथ। 40. यह केवल पेरी द्वारा दिए गए गंभीर उपक्रमों और नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा पारित 09.11.2020 दिनांकित आदेश के आधार पर था जिसे "दर्पण आदेश" माना गया था।

इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, कि आदित्य की हिरासत को पेरी को सौंपने का निर्देश दिया गया था। तब से पेरी द्वारा किए गए झूठे और धोखाधड़ी वाले अभ्यावेदन आधार थे, जिसके आधार पर इस न्यायालय को राजी किया गया था

आदित्य की अभिरक्षा उसे सौंपना, इस न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह अदालत में धोखाधड़ी करके प्राप्त आदेशों के प्रभाव और प्रभाव को हर तरह से रद्द करे। ऊपर उल्लिखित सभी निर्णय उस दिशा में इंगित करते हैं। इसलिए यह न्यायालय अपनी शक्ति के भीतर होगा और सभी आदेशों को वापस लेने के लिए न्यायसंगत होगा और यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारिता ग्रहण करना जारी रखेगा कि निचली अदालत, उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पहले जो स्थिति थी, वह बहाल हो जाए, जिसके बाद माता-पिता के अधिकार क्षेत्र में उचित निर्णय लिया जा सकता है। 41. यह सच है कि आदित्य अब केन्या में है। लेकिन उन्हें केवल धोखाधड़ी से प्राप्त आदेशों के आधार पर केन्या ले जाया गया था

अदालत। हमारे सुविचारित विचार में, भारतीय न्यायालय जो प्रथम संपर्क के न्यायालय थे और जिनका आदित्य पर पूर्ण अधिकार क्षेत्र था, उन्हें धोखाधड़ीपूर्ण आचरण के परिणामस्वरूप हुई गलतियों को सुधारने के लिए ऐसी शक्ति और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग जारी रखना चाहिए।

पेरी का हिस्सा। यहां यह कहा जा सकता है कि हर मोड़ पर आदित्य का कल्याण प्राथमिक था और हमेशा बना रहेगा। भारतीय न्यायालयों के लिए विचार। उनका साक्षात्कार लिया गया था

सक्षम और योग्य परामर्शदाता जिनकी रिपोर्ट और

आकलन रिकॉर्ड का हिस्सा रहे हैं। आदित्य भी था

विचारण न्यायालय, उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा साक्षात्कार लिया गया। किसी भी स्तर पर स्मृति द्वारा किसी भी दुर्व्यवहार का सुझाव या विज्ञापन आदित्य द्वारा नहीं किया गया था। आदित्य को इस देश में वापस लाए जाने के बाद, यह अदालत निश्चित रूप से आदित्य के कल्याण पर विचार करते हुए उसकी इच्छाओं को समझने के लिए उसके साथ उचित बातचीत करेगी।

4. तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, इसके बाद इस न्यायालय द्वारा दिनांक 7.10.2021 के उक्त आदेश में जारी किए गए निम्नलिखित निर्देश;-IN RE:

पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

" 42. परिसर में, हम निम्नलिखित दिशा-निर्देश देते हैं:

(बी) पेरी द्वारा जिला न्यायालय, साकेत, नई दिल्ली में दायर 2012 की संरक्षकता याचिका No.53 आदित्य और उच्च न्यायालय में दायर 2018 के एम. ए. टी. ए. पी. पी. (एफ. सी.) No.3Q सहित उससे उत्पन्न होने वाली कार्यवाही इस प्रकार है:

बर्खास्त कर दिया।

(ग) अभिरक्षा देने वाले आदेशों को वापस लेने के बाद, पेरी के साथ आदित्य की अभिरक्षा को अवैध और शुरू से ही अमान्य घोषित किया जाता है।

(डी) पेरी को नोटिस जारी करें कि अवमानना की कार्यवाही क्यों की जा रही है।

अधिकारिता का उल्लंघन करने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं की जाए

इस न्यायालय को दिया गया गंभीर वचन, जो 16 तारीख को वापस किया जा सकता है

नवंबर, 2021। रजिस्ट्री को सुओ मोटू को पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया है

अवमानना का मामला दर्ज करें और तदनुसार आगे बढ़ें। (ई) सूचना अतिरिक्त रूप से स्मृति के साथ संवाद करने में पेरी द्वारा उपयोग की जाने वाली ई-मेल आईडी पर निर्देशित ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी। उस संबंध में विवरण स्मृति द्वारा रजिस्ट्री को प्रस्तुत किया जाएगा।

दो दिनों के भीतर। (च) केंद्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली को अपने निदेशक के माध्यम से पंजीकरण करके उचित कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया जाता है।

पेरी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही और सुरक्षित करने और सौंपने के लिए

स्मृति को आदित्य की अभिरक्षा।

(जी) सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार भारत, नई दिल्ली और केन्या में भारतीय दूतावास को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि उन्हें हर संभव सहायता और साजो-सामान सहायता प्रदान की जाए।

आदित्य की अभिरक्षा हासिल करने के लिए स्मृति तक विस्तारित किया गया।

(ज) पेरी द्वारा जमा की गई 1 करोड़ रुपये की राशि से और उसमें से

इस न्यायालय में, इस स्तर पर, कानूनी खर्च के लिए या इसके बाद किए जाने वाले खर्च के लिए स्मृति को Rs.25 लाख की राशि सौंपी जाए। शेष राशि अगले आदेश तक रजिस्ट्री में जमा रखी जाएगी।

5. जैसा कि ऊपर कहा गया है, निर्देश (डी) के अनुसार, तत्काल स्वतः संज्ञान याचिका पेरी के खिलाफ दर्ज की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. अपने दिनांकित 25.1.2022 आदेश में, तत्काल सुनवाई करते हुए, इस न्यायालय ने कहाः

" तदनुसार, यह मामला आज हमारे सामने इस बात पर विचार करने के लिए सूचीबद्ध है कि क्या आरोप तय करने की आवश्यकता है या नहीं। यहाँ यह कहा जाना चाहिए कि श्री पेरी कंसाग्रा ने कोई प्रतिक्रिया दर्ज नहीं करने का फैसला किया है। बात है।

पूरे मामले पर विचार करने के बाद, हमारे विचार में, मामला है

निश्चित रूप से श्री पेरी कंसाग्रा के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए तैयार किया गया

अवमानना अधिकार क्षेत्रः -

i) इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए, और; (ख) इस न्यायालय सहित न्यायालयों को दिए गए गंभीर उपक्रमों के उल्लंघन में कार्य करने के लिए, और;

(ग) न्याय के मार्ग में बाधा डालने और न्यायालय की आपराधिक अवमानना करने के लिए।

इसलिए रजिस्ट्री को श्री को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है।

पेरी कंसाग्रा के लिए कार्यवाही को विनियमित करने के नियमों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की अवमानना, 1975 प्रपत्र I में कहा गया

नियम। रजिस्ट्री को आगे संबंधित उद्धरण देने का निर्देश दिया जाता है

दिनांक 7 अक्टूबर, 2021 के आदेश के पैराग्राफ 38 से 40 के भागों के साथ-साथ ऊपर बताए गए प्रथम दृष्टया अवलोकन,

अवमानना में कार्यवाही शुरू करने का आश्वासन।

8 मार्च, 2022 को सूचना वापस करने योग्य बनाई जाए। श्री. पेरी

कंसाग्रा को अगले दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

सुनवाई की तारीख।

सेवा के नियमित तरीके के अलावा, नोटिस उसी तरीके से दिया जाएगा जैसा कि पहले के अवसर पर किया गया था और विद्वान सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय से मामले में उचित कदम उठाने का अनुरोध किया जाता है। श्री पेरी कंसाग्रा अग्रिम प्रति के साथ 22 फरवरी, 2022 को या उससे पहले कार्यवाही का जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

दूसरी तरफ "।

7. चूंकि सेवा दिए जाने के बावजूद, पेरी उपस्थित नहीं हुई थी, निम्नलिखित

इस न्यायालय द्वारा 8.3.2022 पर पारित किया गया थाः

इन आरईः पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

" अवमानना कार्यवाही शुरू करने और प्रपत्र में नोटिस जारी करने का निर्देश देते हुए-मैंने सर्वोच्च न्यायालय, 1975 की अवमानना के लिए कार्यवाही को विनियमित करने के नियमों के साथ जोड़ा, दिनांक 25.01.2022 के आदेश के अनुसार, श्री पेरी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था। कंसागरा।

कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, नोटिस जारी किया गया है।

विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से 03.02.2022 पर स्पीड पोस्ट द्वारा

साथ ही ई-मेल के माध्यम से जैसा कि पहले के अवसर पर किया गया था। हालांकि, कार्यालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि डिलीवरी की स्थिति नहीं है विधि और न्याय मंत्रालय से अब तक प्राप्त किया गया है।

हालांकि कार्यालय की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि ई-मेल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया था "जैसा कि पहले के अवसर पर किया गया था", संदेह को दूर करने के लिए, रजिस्ट्री को ई-मेल आईडी के माध्यम से श्री पेरी कंसाग्रा को नोटिस भेजने का निर्देश दिया जाता है, जिससे श्री पेरी कंसाग्रा की ओर से संचार प्राप्त हुए थे।

सुश्री सोनिया माथुर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा शुरू की गई कार्यवाही की स्थिति के बारे में। इसलिए हम केंद्रीय जांच ब्यूरो से सुनवाई की अगली तारीख से पहले स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आह्वान करते हैं। होने दीजिए।

रजिस्ट्री द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को उचित सूचना भेजी जाए।

8. तदनुसार, केंद्रीय ब्यूरो द्वारा स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई थी

अभियोग और मामला 11.4.2022 पर उठाया गया था जब निम्नलिखित

इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया थाः

" सी. बी. आई. द्वारा स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जो संकेत देती है

कि लुक आउट सर्कुलर पहले ही सी. बी. आई. द्वारा जारी किया जा चुका है। ए.

रिपोर्ट की प्रति सुश्री स्मृति मदन कंसागरा को दी जाए।

2022 का आई. ए. No.53272 उनके द्वारा दायर किया गया है।

कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर रखने की अनुमति। आवेदन पर विचार करने के बाद, हमारे विचार में, उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

रिलायंस को उसके द्वारा दिनांकित 9.3.2022 पारित आदेश पर रखा गया है।

एसएलपी (सी. आर. एल.) में 2020 का No.2018, जिसके संदर्भ में समान [2022] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिस्थितियां, निर्देश जारी किए गए थे जिसमें सीबीआई को जारी करने का आदेश दिया गया था प्रथम उत्तरदाता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस

जो एक विदेशी नागरिक था।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री सोनिया माथुर ने इसी तरह की प्रार्थना की

तत्काल मामले में दिशा।

उक्त आदेश दिनांक 09.03.2022 के पैराग्राफ 5 से पता चलता है कि पहले प्रतिवादी-पति की ओर से पालन करने में विफलता थी

उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों द्वारा। द.

इस न्यायालय द्वारा टिप्पणियां की गई थीं कि ऐसा आचरण अवमानना अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई आमंत्रित करें। जहाँ तक तत्काल मामले का संबंध है, यह न्यायालय अवमानना अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पहले ही नोटिस जारी कर चुका है।

इसलिए सी. बी. आई. को पेरी कंसाग्रा की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। नाबालिग बच्चे के बाद से

डिज़ाइन के एक भाग के रूप में गुप्त किया गया था जिसे संदर्भित किया गया था और निपटाया गया था पहले के आदेशों में हम सीबीआई को येलो कॉर्नर जारी करने का भी निर्देश देते हैं

बच्चे की उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए ध्यान दें।

जैसा कि पहले के आदेशों से संकेत मिलता है, हमने अवमानना याचिका में कार्यवाही शुरू कर दी है और श्री को पहले ही पर्याप्त समय दे दिया है।

पेरी कंसाग्रा ने उन नोटिसों का जवाब दिया और अभी तक कोई प्रतिक्रिया दायर नहीं की गई है।

इसलिए हम अवमानना याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं।

21.04.2022 03 बजेः 00 अंतिम निपटान के लिए पीएम "।

9. हमने स्मृति की वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री सोनिया माथुर, श्री रजत नायर को केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए सुना। श्री पी. के.

हर, पेरी के लिए विद्वान अधिवक्ता, हालांकि आगे बढ़ने से इनकार कर दिया

उब्बिशंस।

10. सुश्री माथुर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पेरी द्वारा दो खंडों के तहत एम. पी. टी. के कार्यों पर प्रकाश डाला, जो जुलाई, 2021 से पहले के थे, जो जुलाई, 2021 के बाद के थे। अवमानना के कार्य जैसा कि वर्णित है

स्मृति की ओर से प्रस्तुत तर्कों के नोट इस प्रकार थेः

" 3. स्मृति के सम्मानजनक समर्पण में, निम्नलिखित हैं -

जुलाई 2021 से पहले पेरी द्वारा अवमानना के कार्यः

आई. पेरी द्वारा दिए गए शपथ पत्र/उपक्रम निम्नलिखित हैं -

जिनका उसके द्वारा जानबूझकर उल्लंघन किया गया हैः

इन आरईः पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

ए। दिल्ली उच्च न्यायालय को दिया गया 02.08.2020 दिनांकित शपथ पत्र जिसमें उन्होंने "सम्मान और अनुपालन" करने का वचन दिया।

स्मृति को दिए गए यात्रा अधिकारों के साथ-साथ "भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होने" का बीड़ा उठाया।

बी। पेरी द्वारा पहले दायर किया गया 30.10.2020 दिनांकित उपक्रम/शपथ पत्र

यह माननीय न्यायालय दिनांकित निर्णय के अनुसार 28.10.2020 कि वह बिना किसी आपत्ति के और अक्षर और भावना के बहुमत के निर्णय का पालन करेगा।

सी। पेरी द्वारा दायर हलफनामा दिनांक 20.11.2020 जो "दर्पण आदेश" के साथ था जिसमें पेरी ने कहा था कि

केन्याई द्वारा पारित कथित आदेश दिनांक 09.11.2020

उच्च न्यायालय एक "दर्पण आदेश" था।

डी। पेरी कंसाग्रा ने एम. ए. नंबर 2140,2020 के अपने जवाब में कथित दर्पण आदेश दिनांक 09.11.2020 पर दायर किया और भरोसा करना जारी रखा, पेरी द्वारा दायर अनुपालन के हलफनामे की प्रति दिनांक 20.11.2020 और समर्थन में शपथ पत्र की प्रति दिनांक 26.11.2020

उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेज़।

ई. के अनुपालन में पेरी द्वारा दायर हलफनामा दिनांक 09.12.2020

जिसमें वह कहता है कि वह "वास्तव में और विश्वास के साथ पालन करेगा आदेश दिनांकित 08.12.2020 "।

एफ. दिनांकित 08.12.2020 आदेश ने पेरी कंसाग्रा के इस माननीय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करने के वचन को स्वीकार कर लिया

अदालत।

10.12.2020 पर आदित्य को भारतीय अधिकार क्षेत्र से हटाना

उपरोक्त झूठे उपक्रमों/शपथपत्रों और कानूनी रूप से असमर्थनीय कथित "दर्पण आदेश" के आधार पर।

निर्देश का पालन करने में पेरी की जानबूझकर विफलता आदेश के पैराग्राफ 21 (डी) में निर्देशित एक और "दर्पण क्रम"

दिनांकित 08.12.2020।

जैसा कि उपरोक्त जानबूझकर और जानबूझकर किए गए व्यवहार पेटी से स्पष्ट है, यह सबसे सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि पेरी

भारतीय अधिकार क्षेत्र से बच्चे का अपहरण कर लिया गया और बच्चे को अदालत के अभिभावक से हटा दिया गया। पेरी ने इस माननीय न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. पेरी द्वारा किए गए अवमानना के कार्य निम्नलिखित हैं

यूली, 2021।

आई. स्मृति की यात्रा का लाभ उठाने के लिए आदित्य को भारत लाने से इनकार करना, दिनांकित 28.10.2020 के फैसले और दिनांकित आदेश के संदर्भ में

08.12.2020 .

ii. केन्याई उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 09.11.2020 के कथित "दर्पण आदेश" को दिनांकित 21.05.2021 के आदेश द्वारा अलग कर दिया गया है।

iii. केन्याई उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21.05.2021 के आदेश को दबाना-इस माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश को या तो स्वेच्छा से दायर नहीं करना जब उक्त आदेश पारित किया गया था या एमए No.1167/2021 को उनके उत्तर दिनांक 05.08.2021 के साथ या एमए No.1167/2021 को उनके उत्तर दिनांक 05.08.2021 के साथ या अतिरिक्त दस्तावेज रखने के लिए 09.08.2021 दिनांकित आवेदन के साथ

या 11.08.2021 पर दाखिल किए गए दस्तावेजों के साथ।

iv. पेरी कंसाग्रा द्वारा बच्चे को भारत लाने से इनकार

इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांकित 08.12.2020 आदेश के संदर्भ में साक्षात्कार लिया गया। पेरी के जवाब और हलफनामे में एम. ए. नं.

वी.

1167/2020 , पेरी ने कहा कि वह 28.10.2020 और 08.12.2020 पर पारित इस माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रहे हैं।

vi. दिनांकित 11.08.2021 आदेश का जानबूझकर उल्लंघन, अर्थात नहीं

आदित्य को 13.08.2021 पर भारत भेजना और नैरोबी में भारतीय उच्चायोग में आदित्य के ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन नहीं करना,

केन्या।

vii. 15.08.2021 पर एक महत्वपूर्ण चरण में अपने वकीलों का निर्वहन करना, यानी जब इस माननीय न्यायालय ने 11.08.2021,08.12.2020 और 28.10.2020 के आदेशों के अनुपालन के लिए मामले को सूचीबद्ध किया था, और इस संबंध में पेरी के वकीलों की सहायता मांगी थी।

viii. आदित्य और स्मृति के बीच सभी संबंधों को जानबूझकर तोड़ना, न केवल आदित्य को 13.08.2021 पर भारत नहीं भेजकर, बल्कि

15.08.2021 से सभी स्काइप पहुँच को भी रोक देना, जिससे जानबूझकर और जानबूझकर 28.10.2020 और 08.12.2020 के आदेशों का उल्लंघन करना।

ix. केन्याई उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू करना

उनके उपरोक्त उपक्रमों/शपथपत्रों और आई. एन. आर. ई. का उल्लंघनः

पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

आई. डी. 1 दिनांकित आदेश जिसमें पेरी के खिलाफ आदित्य की अभिरक्षा/संरक्षकता के लिए कार्यवाही करने के लिए एक विश्वव्यापी विज्ञापन अंतरिम पूर्व-पक्ष विरोधी मुकदमा निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया था। पेरी की याचिका, शपथ पत्र और प्रस्ताव की सूचना का लहजा और भाव विरोधाभासी, निंदनीय है और इस माननीय न्यायालय की महिमा को कम करने के खुले प्रयास में किया गया है।

केन्याई उच्च से 30.08.2021 दिनांकित आदेश प्राप्त करना

एक्स.

अदालत ने 11.08.2021 और 17.08.2021 के आदेशों का उल्लंघन करते हुए स्मृति को आदित्य को केन्या से बाहर ले जाने या उसकी हिरासत में लेने से रोक दिया। पेरी ने जानबूझकर इसे हटाने की कोशिश की है।

आदित्य के माता-पिता के संरक्षक के रूप में माननीय न्यायालय।

xi. पेरी ने 15.08.2020 (अपने अधिवक्ताओं को छुट्टी देने के बाद) से इस माननीय अदालत के समक्ष उपस्थित होने से जानबूझकर इनकार करना जारी रखा और स्मृति को संचार के सभी सामान्य रूपों (ईमेल और वॉट्सऐप) पर अवरुद्ध कर दिया।

xii. अवमानना में इस माननीय न्यायालय की प्रक्रिया की सेवा के बार-बार प्रयासों को स्वीकार करने से पेरी का इनकार

कार्यवाही। [बिन्दु सं. में विस्तृत किया गया है। 6]

xiii. 18.10.2021,01.02.2022 दिनांकित आदेश के बावजूद पेरी द्वारा व्यक्तिगत रूप से इस माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से इनकार करना और

16.03.2022 2021 की एस. एम. सी. संख्या 3 में पारित किया गया।

11. हमारा ध्यान ए) हैडकिंसन बनाम हैडकिंसन 1 के फैसलों की ओर भी आकर्षित किया गया था, जहां अदालत ने माना था कि एक बच्चे को हटाने के लिए अभिरक्षक माता-पिता ने अदालत द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन किया, यह घोरतम प्रकार की अवमानना थी; और यह कि अवमानकर्ता ने ऐसा नहीं किया होगा

जब तक बच्चे को अदालत की अधिकारिता में वापस नहीं लाया जाता, तब तक सुनवाई का कोई अधिकार; ख) रेजिना बनाम जोन्स (रॉबर्ट) 2, जहां अपील न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आवेदक ने फरार होने में अपने आचरण द्वारा मुकदमे में उपस्थित होने के अपने अधिकार को माफ कर दिया था और ऐसी परिस्थितियों में, न्यायाधीश को आवेदक की अनुपस्थिति में मुकदमे को आगे बढ़ाने की अनुमति देने का विवेकाधिकार था; और ग) अनिल पंजवानी 3 के मामले में इस न्यायालय का। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया कि जब तक आदित्य को इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वापस नहीं लाया जाता, तब तक पेरी इस मामले में सुनवाई का हकदार नहीं होगा और

1 [1952] 2 सभी ईआर 567 2 1972 1 डब्ल्यूएलआर 887 3 (2003) 7 एस. सी. सी 375 [2022] 13 एस. सी. आर.

कि तत्काल अवमानना कार्यवाही को उनकी अनुपस्थिति में तार्किक निष्कर्ष पर भी ले जाया जा सकता है।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि झूठे बयानों वाले हलफनामों और उपक्रमों को प्रस्तुत करने में पेरी का आचरण न केवल था

धोखाधड़ी लेकिन झूठी गवाही और आपराधिक अवमानना के बराबर भी। धनंजय शर्मा बनाम में इस न्यायालय के निर्णय। हरियाणा राज्य ',

चंद्र शशि बनाम। अनिल कुमार शर्मा और ए. बी. सी. डी. बनाम। विवाद के समर्थन में 'भारत संघ' पर भरोसा किया गया था।

12. यह विचार करते हुए कि पेरी का आचरण कपटपूर्ण था या नहीं, इस न्यायालय ने अपने दिनांकित आदेश के अनुच्छेद 37 में विभिन्न निर्णयों पर विचार किया था, जिसके बाद यह देखा गया था कि इस न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह उन आदेशों के प्रभाव और प्रभाव को रद्द करे जो

न्यायालय में धोखाधड़ी का अभ्यास करने के बाद प्राप्त किए गए थे। इसलिए इस न्यायालय ने 28.10.2020 दिनांकित निर्णय और 08.12.2020 दिनांकित आदेश को वापस ले लिया। साथ ही, पेरी द्वारा प्रासंगिक मोड़ पर भौतिक तथ्यों का खुलासा न करना भी प्रथम दृष्टया विरोधाभासी पाया गया। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा अवमानना क्षेत्राधिकार में तत्काल कार्यवाही शुरू की गई थी।

13. सुश्री माथुर द्वारा लिए गए निर्णयों का पहला समूह अवमानकर्ता या उल्लंघनकर्ता के अधिकारों से संबंधित है, जिन्हें इस तरह के अवमानकर्ता तक सुना जा सकता है।

या उल्लंघनकर्ता अवमानना को शुद्ध करता है। यद्यपि सुश्री माथुर अपन निवेदनमे एकदम सही छलीह, मुदा हमसभ किछु अवसर पर एहि मामलाकेँ उचित रूपसँ स्थगित कऽ देने छलाह जाहि सँ पेरी द्वारा पर्याप्त अवसरक लाभ उठायल जा सकय आ हुनक तरफ सँ निवेदन आगू बढ़ाओल जा सकय। अंतिम सुनवाई के चरण में भी, हमारे पास था श्री पी. के. मनोहर, पेरी के विद्वान अधिवक्ता को अपनी प्रस्तुतियों को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया, जो प्रस्ताव, हालांकि, का लाभ नहीं उठाया गया था।

14. सुश्री माथुर द्वारा लिए गए निर्णयों का दूसरा समूह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या शपथ पत्रों और उपक्रमों की निविदा में निम्नलिखित शामिल हैं - गलत बयान देना आपराधिक अवमानना होगी या नहीं। इस स्तर पर, हम इस न्यायालय के निर्णय से निम्नलिखित अनुच्छेद निकाल सकते हैं -

एबीसीडी वी. भारत संघ 'जिसने इस मुद्दे पर इस न्यायालय के पिछले कुछ फैसलों पर विचार किया थाः

15. शपथ पर गलत बयान देना आई. पी. सी. की धारा 181 के तहत दंडनीय अपराध है।

4 (1995) 3 एस. सी. सी. 757

5 $ (1995) 1 एस. सी. सी. 421

6 (2020) 2 एस. सी. सी. 52 आर. ई.:

पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

इस न्यायालय द्वारा अभिलिखित। 16. यह इस न्यायालय द्वारा चंद्र शशि बनाम में भी निर्धारित किया गया है। अनिल कुमार वर्मा [चंद्र शशि बनाम। अनिल कुमार

वर्मा (1995) 1 एस. सी. सी. 421: 1995 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 239] कि एक व्यक्ति

जो न्यायालय को धोखा देने का प्रयास करता है, न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है और उसे अवमानना का दोषी ठहराया जा सकता है

अदालत। उस मामले में एक पति जिसने वैवाहिक कार्यवाही के हस्तांतरण की अपनी पत्नी की प्रार्थना का विरोध करने के लिए एक मनगढ़ंत दस्तावेज दायर किया था, उसे अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई।

दो सप्ताह की कैद। यह निम्नानुसार देखा गयाः (एससीसी पीपी। 423-24 & 427 , पैरा 1-2 और 14) " 1. न्याय के प्रशासन की धारा को अप्रदूषित रहना होगा ताकि अदालत के वातावरण की शुद्धता जीवन शक्ति दे सके।

राज्य के सभी अंगों को। इसलिए, न्यायालय के वातावरण की उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए न्यायिक क्षेत्र के प्रदूषकों की अच्छी तरह से देखभाल करने की आवश्यकता है; ताकि यह न्याय को निष्पक्ष रूप से और सभी संबंधित लोगों की संतुष्टि के लिए सक्षम हो सके। 2. जो कोई भी धोखाधड़ी का सहारा लेता है, न्यायिक कार्यवाही के पाठ्यक्रम को भटकाता है; या यदि कुछ भी अप्रत्यक्ष उद्देश्य से किया जाता है, तो वही न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है। ऐसे लोग

उनसे उचित तरीके से निपटने की आवश्यकता है, न केवल उन्हें गलत काम करने के लिए दंडित करने के लिए, बल्कि दूसरों को ऐसे कृत्यों में लिप्त होने से रोकने के लिए भी जो न्याय के प्रशासन की प्रणाली में लोगों के विश्वास को हिलाते हैं।

***

14. इस प्रकार कानूनी स्थिति यह है कि यदि प्रकाशन अदालत को धोखा देने के इरादे से किया गया है या धोखाधड़ी करने के इरादे से किया गया है, तो यह अवमानना होगी, क्योंकि यह [2022] 13 एस. सी. आर. में हस्तक्षेप करेगा।

न्याय का प्रशासन। यह, किसी भी मामले में, इसमें हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है। यह निश्चित रूप से ऐसा ही होगा यदि कोई मनगढ़ंत दस्तावेज़ हो।

उपरोक्त पुरुष अधिकार के साथ दायर किया जाता है। हाथ में मामले में

धोखाधड़ी करने का इरादा बहुत बड़ा है। इसलिए अनिल कुमार दोषी हैं। तिरस्कार का "।

17. केडी शर्मा बनाम। सेल [केडी शर्मा बनाम। सेल, (2008)

12 एस. सी. सी. 481] यह देखा गयाः (एस. सी. सी पी. 493, पैरा 39)

" 39. यदि केन्सिंगटन में हाइलाइट की गई प्राथमिक वस्तु

आयकर आयोग। [आर. वी. के लिए सामान्य आयुक्त

केन्सिंगटन जिले के लिए आयकर अधिनियमों के उद्देश्य, एक्स पी राजकुमारी एडमंड डी पोलिग्नैक, (1917) 1 KB 486: 86 एलजेकेबी 257: 116 एल. टी. 136 (सी. ए.)] को ध्यान में रखा जाता है, एक आवेदक जो स्पष्ट तथ्यों के साथ नहीं आता है और "स्वच्छ स्तन" "गंदे हाथों" के साथ अदालत की रिट नहीं ले सकता है। दमन या छिपाना

भौतिक तथ्य एक वकालत नहीं है। यह एक बाजीगरी है, हेरफेर है,

पैंतरेबाज़ी या गलत निरूपण, जिसका न्यायसंगत और विशेषाधिकार क्षेत्राधिकार में कोई स्थान नहीं है। यदि आवेदक सभी भौतिक तथ्यों को निष्पक्ष और सही तरीके से प्रकट नहीं करता है, लेकिन उन्हें विकृत रूप में बताता है

तरीके से और अदालत को गुमराह करते हुए, अदालत के पास अपनी रक्षा करने और अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अंतर्निहित शक्ति है

नियम निसी का निर्वहन करें और आगे बढ़ने से इनकार करें

गुण-दोष के आधार पर मामले की जाँच। यदि अदालत उस आधार पर याचिका को अस्वीकार नहीं करती है, तो अदालत अपने कर्तव्य में विफल होगी। वास्तव में, ऐसे आवेदक को अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए अदालत की अवमानना के लिए निपटा जाना चाहिए।

18. धनंजय शर्मा बनाम। हरियाणा राज्य [धनंजय

शर्मा बनाम। हरियाणा राज्य, (1995) 3 एससीसी 757: 1995 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 608] एक झूठा हलफनामा दायर करना अवमानना क्षेत्राधिकार में कार्रवाई शुरू करने का आधार था और संबंधित व्यक्ति थे

दंडित करें "।

इसके बाद, स्वतः संज्ञान लेते हुए शक्ति का प्रयोग करते हुए अवमानना की कार्यवाही की जाती है

उक्त याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया था।

15. इस प्रकार यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक व्यक्ति जो न्यायालय में गलत बयान देता है और न्यायालय को धोखा देने का प्रयास करता है, वह न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है और न्यायालय की अवमानना का दोषी है। उपरोक्त उद्धृत भाग स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ऐसी परिस्थितियों में, आई. एन. आर. ई.:

पेरी कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे।]

न्यायालय के पास न केवल अंतर्निहित शक्ति है, बल्कि यह अपने कर्तव्य में विफल होगा यदि कथित अवमानक को न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए अवमानना क्षेत्राधिकार में नहीं देखा जाता है।

16. दिनांकित 07.10.2021 के आदेश के अनुच्छेद 34 में उल्लिखित मामले की आवश्यक विशेषताओं पर प्राथमिक स्थिति में पहुंचने के लिए भरोसा किया गया था।

प्रत्यक्ष अवलोकन कि पेरी अदालत की अवमानना का दोषी था। हालांकि पेरी को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हम पाते हैं कि अभिलेख पर सामग्री स्पष्ट रूप से पेरी की ओर से उल्लंघन दिखाती है। द.

दिनांकित 7.10.2021 आदेश के पैराग्राफ 34 में की गई टिप्पणियाँ रिकॉर्ड के आधार पर थीं। पूरे मामले पर विचार करने के बाद, हमारे विचार में, पेरी इस न्यायालय सहित न्यायालयों को दिए गए स्पष्ट उपक्रमों का उल्लंघन करने के लिए अवमानना के अलावा न्यायालय की आपराधिक अवमानना करने का दोषी है। हम तदनुसार पेरी को अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत दोषी ठहराते हैं।

इस आदेश की प्रति पेरी को स्मृति को सेवा देने की प्रक्रिया में उनके द्वारा उपयोग किए गए ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाए। इसके अतिरिक्त, एक प्रति विद्वान अधिवक्ता श्री पी. के. मनोहर को दी जाएगी। 18. इस न्यायालय के समक्ष पेरी और आदित्य की उपस्थिति सुनिश्चित करने और इस न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित संघ की एजेंसियों के पास सभी शक्तियां होंगी और वे उनका प्रयोग करेंगी, जो आवश्यक रूप से दिनांक 1 के आदेश में जारी किए गए निम्नलिखित निर्देशों तक सीमित नहीं हैं:

" केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली को अपने निदेशक के माध्यम से उचित कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया है -

पेरी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही दर्ज करना और सुरक्षित करना और

आदित्य की अभिरक्षा स्मृति को सौंप दें।

सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली और केन्या में भारतीय दूतावास को निर्देशित किया जाता है [2022] 13 एस. सी. आर.

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आदित्य की अभिरक्षा को सुरक्षित करने में स्मृति को हर संभव सहायता और रसद सहायता प्रदान की जाए।

यहां यह कहा जाना चाहिए कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने अंतरिम चरणों में सुनवाई के दौरान इस न्यायालय को निर्देश दिया था कि पेरी और इस न्यायालय के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए केन्या में भारतीय दूतावास की संघ एजेंसियों द्वारा हर संभव सहायता और सहायता प्रदान की जाएगी।

19. मामले को दोपहर 3 बजे 22.07.2022 पर सूचीबद्ध करें।

जैन

मामला आगे

सूचीबद्ध किया गया है।

तमन्ना, एलसीआरए द्वारा संपादित)